



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2697]

नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 17, 2018/आषाढ़ 26, 1940

No. 2697]

NEW DELHI, TUESDAY, JULY 17, 2018/ASHADHA 26, 1940

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(आयकर)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 जुलाई, 2018

का.आ. 3468(अ).— जबकि, आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार तथा राजकोषीय अपवंचन की रोकथाम के लिए भारत गणराज्य की सरकार तथा क्रतर राज्य की सरकार के बीच करार (इसे इसके बाद "डीटीएए" कहा जाएगा) पर 07 अप्रैल, 1999 को हस्ताक्षर किए गए थे।

जबकि, डीटीटीए के अनुच्छेद 11 के पैरा 3 के खंड (ii) में सरकारी वित्तीय संस्थानों/एजेंसियों द्वारा प्राप्त और लाभप्रद रूप से स्वामित्व वाले ब्याज पर छूट देने के लिए पारस्परिक करार का प्रावधान है;

और जबकि, अनुच्छेद 11 के पैरा 3 के खंड (ii) के अनुसार भारत गणराज्य के 16 मार्च, 2018 के और क्रतर राज्य द्वारा उनके दिनांक 29 अप्रैल, 2018 के पत्र के द्वारा यथा स्वीकृत, पत्र के आदान-प्रदान के माध्यम से 29 अप्रैल, 2018 को एक पारस्परिक करार पर सहमति हुई है और भारत-क्रतर डीटीटीए के अनुच्छेद 11 के पैराग्राफ 3 के खंड (ii) के अनुसार ब्याज सम्बंधी आय पर कर से छूट देने के लिए भारत गणराज्य और क्रतर राज्य के बीच कथित पत्रों (इसके साथ यथा संलग्न) का आदान-प्रदान किया गया था;

इसलिए, अब आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 90 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा अधिसूचित करती है कि इसके साथ संलग्न पत्रों के आदान-प्रदान के माध्यम से कथित पारस्परिक करार के उपबंध भारत संघ में 29 अप्रैल, 2018 से लागू किए जाएंगे।

अनुबंध

दिनांक 16 मार्च, 2018 के भारत गणराज्य की सरकार द्वारा हस्ताक्षरित पत्र

प्रिय श्री घानिम खलीफा अल आतिया

भारत गणराज्य की सरकार की ओर से मैं भारत गणराज्य की सरकार तथा क़तर राज्य की सरकार के बीच आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार तथा राजकोषीय अपवंचन की रोकथाम के लिए करार (डीटीएए) का संदर्भ लेता हूँ जो 15 जनवरी, 2000 को प्रभावी हुआ।

क़तर राज्य की सरकार की ओर से प्रस्ताव तथा भारत गणराज्य की सरकार की ओर से प्रस्ताव पर उक्त डीटीएए के अनुच्छेद 11 के पैराग्राफ 3 की खण्ड (ii) के प्रयोजनों के लिए विचार करते हुए निम्नलिखित सरकारी वित्तीय संस्थान/एजेंसियां इस परस्पर करार के होने की तिथि से उक्त अनुच्छेद 11(3)(ii) के अंतर्गत ब्याज आय पर कर छूट प्रदान करने के लिए दोनों संबिदाकारी राज्य के बीच परस्पर रूप से सहमत हुई हैं:

- (क) भारत के मामले में भारतीय आयात-निर्यात बैंक तथा भारतीय जीवन बीमा निगम; और
- (ख) क़तर के मामले में क़तर निवेश प्राधिकरण तथा क़तर होल्डिंग एलएलसी

यदि पूर्ववर्ती प्रस्ताव क़तर राज्य की सरकार को स्वीकार है, तो मैं भारत गणराज्य की सरकार की ओर से सुझाव देता हूँ कि वर्तमान टिप्पण उस दिन से दोनों सरकारों के बीच उक्त भारत-क़तर डीटीएए के अनुच्छेद 11 के पैराग्राफ 3 के खण्ड (ii) के बारे में किए गए परस्पर करार के गठन के रूप में माना जाए, जिस दिन से आप औपचारिक रूप से इसकी स्वीकृति की पुष्टि करते हैं।

सादर,

भवदीय,

ह0/-

(सुशील चंद्र)

क़तर राज्य की सरकार द्वारा दिनांक 29 अप्रैल, 2018 को हस्ताक्षरित पत्र

प्रिय श्री सुशील चंद्र

क़तर राज्य सरकार की ओर से मुझे आपके दिनांक 16 मार्च, 2018 का नोट प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, जो निम्नानुसार पठित है:

“भारत गणराज्य की सरकार की ओर से मैं भारत गणराज्य की सरकार तथा क़तर राज्य की सरकार के बीच आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार तथा राजकोषीय अपवंचन की रोकथाम के लिए करार (डीटीएए) का संदर्भ लेता हूँ जो 15 जनवरी, 2000 को प्रभावी हुआ।

क़तर राज्य की सरकार की ओर से प्रस्ताव तथा भारत गणराज्य की सरकार की ओर से प्रस्ताव पर उक्त डीटीएए के अनुच्छेद 11 के पैराग्राफ 3 की खण्ड (ii) के प्रयोजनों के लिए विचार करते हुए निम्नलिखित सरकारी वित्तीय संस्थान/एजेंसियां इस परस्पर करार के होने की तिथि से उक्त अनुच्छेद 11(3)(ii) के अंतर्गत ब्याज आय पर कर छूट प्रदान करने के लिए दोनों संबिदाकारी राज्य के बीच परस्पर रूप से सहमत हुई हैं:

- (क) भारत के मामले में भारतीय आयात-निर्यात बैंक तथा भारतीय जीवन बीमा निगम; और
- (ख) क़तर के मामले में क़तर निवेश प्राधिकरण तथा क़तर होल्डिंग एलएलसी

यदि पूर्ववर्ती प्रस्ताव क़तर राज्य की सरकार को स्वीकार है, तो मैं भारत गणराज्य की सरकार की ओर से सुझाव देता हूँ कि वर्तमान टिप्पण उस दिन से दोनों सरकारों के बीच उक्त भारत-क़तर डीटीएए के अनुच्छेद 11 के पैराग्राफ 3 के खण्ड (ii) के बारे में किए गए परस्पर करार के गठन के रूप में माना जाए, जिस दिन से आप औपचारिक रूप से इसकी स्वीकृति की पुष्टि करते हैं।”

उत्तर में, क़तर राज्य की सरकार की ओर से मुझे यह कहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि क़तर राज्य की सरकार इसमें किए गए प्रस्ताव को स्वीकार करती है तथा इस उत्तर को दोनों सरकारों के बीच भारत-क़तर डीटीएए के अनुच्छेद 11 के पैराग्राफ 3 के खण्ड (ii) की शर्तों के अनुसार आज से एक पारस्परिक समझौता माना जाए।

सादर,

भवदीय,

ह0/-

घानिम खलीफ़ा अल आतिया

[अधिसूचना सं. 32/2018/ 504/6/2004-एफटीडी-II (खंड1)]

रजत बंसल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(INCOME TAX)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th July, 2018

S.O. 3468(E).— Whereas, the Agreement between the Government of the Republic of India and the Government of the State of Qatar for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income (hereinafter referred to as the “DTAA”) was signed on the 7th April, 1999;

Whereas, clause (ii) of para 3 of Article 11 of DTTA provides for the mutual agreement for granting exemption from tax on interest derived and beneficially owned by governmental financial institutions/agencies;

And whereas, in accordance with clause (ii) of para 3 of Article 11 a mutual agreement has been reached on the 29th April 2018, through exchange of letter dated the 16th March, 2018 of Republic of India and duly accepted by State of Qatar *vide* their letter dated the 29th April, 2018 and the said letters were exchanged between the Republic of India and the State of Qatar (as annexed herewith) for grant of exemption from tax on interest income, in accordance with clause (ii) of paragraph 3 of Article 11 of the India-Qatar DTAA;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 90 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies that the provisions of said Mutual Agreement through exchange of letters, as annexed hereto, shall be given effect to in the Union of India with effect from 29th April, 2018.

ANNEXURE

Letter signed by the Government of the Republic of India on 16th March, 2018

Dear Mr. Ghanim Khalifa Al Attiyah

On behalf of the Government of the Republic of India, I have the honour to refer to the Agreement between the Government of the Republic of India and the Government of the State of Qatar for the avoidance of double taxation and for the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income (DTAA) which came into force on 15th January, 2000.

Considering the proposal on behalf of the Government of the State of Qatar and the proposal on behalf of the Government of the Republic of India, for the purposes of clause (ii) of paragraph 3 of Article 11 of the said DTAA, following governmental financial institutions/agencies are mutually agreed upon between

the two Contracting States for granting tax exemption on interest income under the said Article 11(3)(ii) from the date of reaching this mutual agreement:

- (a) In the case of India, the Export Import Bank of India and Life Insurance Corporation of India; and
- (b) In the case of Qatar, the Qatar Investment Authority and Qatar Holding LLC.

If the foregoing proposal is acceptable to the Government of the State of Qatar, on behalf of the Government of the Republic of India, I have the honour to suggest that the present note be regarded as constituting a mutual agreement reached in terms of clause (ii) of paragraph 3 of Article 11 of the said India-Qatar DTAA between the two Governments, on the day you formally confirm its acceptance.

Regards

Yours sincerely,
Sd/-

(Sushil Chandra)

Letter signed by the Government of the State of Qatar on 29th April, 2018

Dear Mr. Sushil Chandra

On behalf of the Government of the State of Qatar, I have the honour to acknowledge receipt of your note dated 16th March, 2018, which reads as follows:

“ On behalf of the Government of the Republic of India, I have the honour to refer to the Agreement between the Government of the Republic of India and the Government of the State of Qatar for the avoidance of double taxation and for the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income (DTAA) which came into force on 15th January, 2000.

Considering the proposal on behalf of the Government of the State of Qatar and the proposal on behalf of the Government of the Republic of India, for the purposes of clause (ii) of paragraph 3 of Article 11 of the said DTAA, following governmental financial institutions/agencies are mutually agreed upon between the two Contracting States for granting tax exemption on interest income under the said Article 11(3)(ii) from the date of reaching this mutual agreement:

- (a) In the case of India, the Export Import Bank of India and Life Insurance Corporation of India; and
- (b) In the case of Qatar, the Qatar Investment Authority and Qatar Holding LLC.

If the foregoing proposal is acceptable to the Government of the State of Qatar, on behalf of the Government of the Republic of India, I have the honour to suggest that the present note be regarded as constituting a mutual agreement reached in terms of clause (ii) of paragraph 3 of Article 11 of the said India-Qatar DTAA between the two Governments, on the day you formally confirm its acceptance.”

In reply, on behalf of the Government of the State of Qatar, I have the honour to say that the Government of the State of Qatar accepts the proposal made therein and this reply shall constitute a mutual agreement reached today in terms of clause (ii) of paragraph 3 of Article 11 of the India-Qatar DTAA, between the two Governments.

Regards,

Yours sincerely,
Sd/-

Ghanim Khalifa Al Attiyah

[Notification No. 32/2018/ 504/6/2004-FTD-II(Pt.1)]

RAJAT BANSAL, Jt. Secy.